MOST IMMEDIATE
TIME BOUND

F.No.20-19/2007-Hort.IV
Government of India
Ministry of Agriculture
Department of Agriculture & Cooperation

Krishi Bhavan, New Delhi.
Dated 13th August, 2007

To

1. The Secretary
(Agriculture/ Horticulture)
All State Government/UTs
2. The Secretary
DARE and D.G., I.C.A.R
Krishi Bhavan,
New Delhi.
3. The Vice Chancellor,
State Agricultural Universities/Central Agricultural Universities.
4. Chairman cum Managing Director/Managing Director,
Public Sector Undertakings/Autonomous Organizations.

Subject:-Filling up to the post of Deputy Director Development in the Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin.

Sir,

I am directed to say that it is proposed to fill up one post of Deputy Director (Development) (General Central Service, Group-A, Gazetted, Non Ministerial) in the scale of 3000-100-3500-125-4500/- (Revised scale of pay of Rs.10,000-325-15,200/-) in the Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin, a subordinate office under the Department of Agriculture & Cooperation, transfer on deputation including short-term contract basis. The eligibility conditions are as follows:-

1. Transfer on deputation including short-term contract: - Officers under Central/State Governments/ Indian Council of Agricultural Research / Agriculture Universities/Public Sector Undertakings/ Recognised Research Institutions or Councils/Semi Government/Autonomous or Statutory Organizations :-

(a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or

(ii) With 5 year's regular service in posts in the scale of pay of Rs.2200-4000 (Revised scale: 8000-13500) or equivalent; or

(iii) With 8 years' regular service in posts in the scale of pay of Rs. 2000-4000 (Revised scale: 6500-10500) or equivalent; and

(b) Possessing the educational qualifications and experience:-

<u>Essential</u>:-

(i) Masters' Degree in Horticulture/Agriculture from a recognized university or equivalent.

(i) Five Years' experience in the field of Horticulture or Agricultural Development/Extension/Plan
(ii) ning/Marketing/Research with particular reference to Cashewnut and/or other plantation crops.

<u>Desirable</u>:-

(i) Doctorate degree in Horticulture/Agriculture from a recognised University or equivalent.
(ii) Experience in formulation of developmental schemes with reference to the Horticulture crops.

(Period of deputation including period of deputation in another Ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of the application.

The officer selected on deputation basis will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay attached to the post in accordance with D.O.P.T.'s O.M. No.2/8/97-Estt. (Pay –II) dated 11.3.1998 as amended from time to time.

It is requested that applications (in duplicate) in the enclosed profroma, along with the complete and upto-date confidential reports dossiers (Photocopies of the C. Rs are to be got attested by an officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India) and Integrity Certificate of eligible officers, who could be spared in the event of their selection, may kindly be forwarded to Deputy Commissioner (Horticulture), Horticulture Division, Department of Agriculture & Cooperation, Room No.440, Krishi Bhavan, New Delhi-110001, within 60 days from the date of publication of this in the Employment News.

While forwarding the applications, it may also be verified and certified that the particulars furnished by the officers are correct and that no vigilance case is either pending or contemplated against them and no major/minor penalty has been imposed on the officers during the last 10 years. Applications received after due date or without the CRs. Vigilance clearance, Integrity Certificate and a statement showing major/minor penalty, if any, imposed on the officers during the last 10 years or otherwise found incomplete will not be considered.

Rajiv Jain
Section Officer (Hort. IV)

Copy for information necessary action to;-

1. All Ministries/ Departments of the Government of India. It is requested that the vacancy may be given wide publicity in the subordinate and attached offices under their administrative control.
2. All attached and Subordinate offices under the Department of Agriculture and Cooperation.
3. Secretary, (A&C)/Additional Secretary /Horticulture Commissioner/JS (Admn.)/Director (Hort.)/Director (Pers.)/US (Hort. /Admn.)
4. NIC, Department of Agriculture & Cooperation with the request to put the advertisement on the Department's web-site against the part reserved for vacancy circulars.
5. Facilitation Centre, Department of Agri. & coopn.
6. Guard file/ Spare copies/Notice Board.
7. Employment News for giving wide publicity in the employment news (Kind attention: Shri P.M Jose, Assistant Media Executive, DAVP, Soochana Bhavan, Xth Floor, phase-IV, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi 110003.

PROFORMA

1. Name
2. Date of Birth
3. Date of retirement under Parent Department/ organization.
4. Educational Qualifications
5. Whether educational qualifications required for the post are satisfied. If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the rules, state the authority for the same.

Qualifications/experience required	Qualifications/experience Possessed by the officer
ESSENTIAL:- (1) (2) (3)	
DESIRABLE:- (1) (2) (3)	

6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirements of the post.
7. Details of Employment, in the chronological order. Enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Office/Instn./Orgn.	Post held	From	To	Scale of pay and basic pay therein	Nature of duties performed

8. Nature of present employment i.e., ad-hoc or temporary or permanent.
9. In case the present employment is held on Deputation/contract basis, please state.

a) The date of initial appointment
b) Period of appointment on deputation/contract
c) Name of the parent office/organization to which you belong

10. Additional details about present employment. Please state whether working under-
    a) Central Government
    b) State Government
    c) Autonomous Organizations
    d) Government Undertaking
    e) Universities

11. Are you in the Revised Scale of pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale.

12. Total emoluments per month, now drawn.

13. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.

14. Whether belongs to SC/ST/OBC

15. Remarks

Date: Signature of Candidate
Address

It is certified that particulars furnished are correct and no disciplinary case is either pending or contemplated against the officer and no penalty major or minor, was imposed on the officer during the last 10 years and his integrity is beyond doubt.

Signature of the Head of
Department/Organization
(with stamp)

<u>अति तत्काल</u>

<u>समयबद्ध</u>

फा०सं० 20-15/2007-बाग iv

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांकः

सेवा में,

1. सचिव
   (कृषि/बागवानी),
   सभी राज्य सरकारें/संघ शासित सरकारें
2. सचिव (डेयर एवं डी जी, भा०क०अ०प०)
   कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. कुलपति
   राज्य कृषि विश्वविद्यालय/केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
4. अध्यक्ष-सह-प्रबंधन निदेशक/प्रबंधन निदेशक
   सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी संगठन

विषयः **काजू एवं कोक विकास निदेशालय, कोचीन में उप-निदेशक (विकास) के पद का भरा जाना।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि काजू एवं कोक विकास निदेशालय, कोचीन जो इस विभाग के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय है, में 3000-100-3500-125-4500/- (संशोधित वेतनमान 10,000-325-15,200/-रू०) के वेतनमान में उप निदेशक (विकास) (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह -क अरापपत्रित, अननुसचिवीय) के एक पद को अल्पावधिक करार सहित प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव है। पात्रता की शर्तें निम्नलिखित है :-

1. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय/राज्य सरकारों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा परिषदों/अर्ध सरकारी/स्वायत्तशासी अथवा सांविधिक संगठनों के अंतर्गत जो अधिकारीः

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों अथवा

(ii) 2200-4000 रूपए के वेतनमान (संशोधित वेतनमानः 8000-13500) में पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो अथवा समकक्ष अथवा

(iii) 2000-4000 रूपए के वेतनमान (6500-10,500 रूपए के संशोधित वेतनमान) में पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक एवं अनुभव रखते हों :-

अनिवार्यः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी/कृषि में मास्टर डिग्री
(ii) कृषि विकास/विस्तार/योजना/विपणन/अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष संदर्भ के साथ काजू और/ अथवा अन्य पौध रोपण फसलों के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव

वांछनीय

(i) किसी मान्यतप्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी/कृषि में डाक्टरेट डिग्री
(ii) बागवानी फसलों के संदर्भ में विकासात्मक स्कीमों के निरूपण में अनुभव

प्रतिनियुक्ति की अवधि उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (लघु आवधिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने अन्तिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति आधार पर चयनित अधिकारियों को अपना ग्रेड वेतन जमा प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता लेने अथवा समय-समय पर, यथा संशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.3.1998 के का.ज्ञा.सं. 2/8/97-स्था० (वेतन-।।) के प्रावधानों के अनुसार अपना वेतन निर्धारित करने का विकल्प है।

अनुरोध है कि ऐसे अधिकारियों के आवेदन (दो प्रतियों में) संलग्न प्रपत्र में पूर्ण अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट सहित (गोपनीय रिपोर्ट की प्रतिलिपियां भारत सरकार के ऐसे अधिकारी से सत्यापित होनी चाहिएं जो अवर सचिव के पद से कम न हों।) रोजगार समाचार पत्र में जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उपायुक्त बागवानी, बागवानी प्रभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कमरा सं. 440 कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 के पास भेज दिए जाएं जिन्हें उनका चयन होने की स्थिति में छोड़ा जा सके और पात्र अधिकारी की सत्यनिष्ठा भी प्रमाणित की जाए।

अवेदन पत्र भेजते समय यह भी जांच की जाए कि अधिकारी द्वारा दिए गए ब्यौरे सही हैं और उनके खिलाफ कोई सतर्कता मामला न तो लंबित है और न ही ऐसा किए जाने का विचार है तथा पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर छोटा/बड़ा कोई दण्ड नहीं लगाया गया है। अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदन पत्र अथवा बिना गोपनीय रिपोर्ट, सतर्कता निकासी, निष्ठा प्रमाणपत्र और यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई छोटा/बड़ा दण्ड लगाया गया हो तो उसके विवरण के बिना अथवा अन्यथा अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(राजीव जैन)
अनुभाग अधिकारी (बागवानी-IV)

आवश्यक सूचना और कार्यवाही के लिए प्रति प्रेषित-

१. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों में इस रिक्ति को व्यापक प्रसार दें।

२. कृषि और सहकारिता विभाग के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।

३. सचिव (कृषि एवं सह०)/अपर सचिव/बागवानी आयुक्त संयुक्त सचिव (प्रशासन)/निदेशक (बागवानी)/निदेशक (कार्मिक)/अवर सचिव (बागवानी)(प्रशा०)

४. एनआईसी, कृषि एवं सह० विभाग को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञापन को विभाग की वेबसाइट में रिक्ति परिपत्र के सामने डाला जाए।

५. सरलीकरण केन्द्र,, कृषि और सहकारिता विभाग

६. गार्ड फाइल/अतिरिक्त प्रतियां/विभाग का सूचना पट्ट।

७. रोजगार समाचार को रोजगार समाचार पत्र में व्यापक प्रचार देने के लिए (ध्यानाकर्ष- श्री पी०एम० जोस सहायक मीडिया एक्जीक्यूटिव, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना, १०वां तल, फेस-IV, सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-११०००३

<u>प्रपत्र</u>

1. नाम :
2. जन्म तिथि :
3. मूल विभाग/संगठन में
   सेवा निवृत्ति की तारीख :
4. शैक्षणिक योग्यताएं :
5. क्या इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताओं को पूरा करते है ।
   यदि नियमों में किसी योग्यता को किसी निर्धारित योग्यता के
   समतुल्य बताया गया है तो उसके प्राधिकरण का नाम बताएं।

		अपेक्षित अर्हताएं/ अनुभव	**अधिकारी के पास अर्हता/अनुभव**
अनिवार्य-	(1)		
	(2)		
	(3)		
वांछनीय-	(1)		
	(2)		
	(3)		

6. आपके द्वारा की गई उपर्युक्त प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए कृपया
   स्पष्ट उल्लेख करें कि क्या आप पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं ।

7. कालक्रमानुसार में रोजगार के विवरण । यदि नीचे का स्थान अपर्याप्त है तो
   अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अलग पत्रक संलग्न करें ।

कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	से	तक	वेतनमान और उनमें मूल वेतन	निष्पादित ड्यूटियों का स्वरूप

8. वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा स्थायी ।

9. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर है तो कृपया उल्लेख करें ।

   (क) प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख

   (ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि

   (ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबंध रखते हैं

10. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे ।
कृपया बताएं क्या आप निम्न के अंतर्गत कार्यरत है ;

   (क) केन्द्र सरकार

   (ख) राज्य सरकार

   (ग) स्वायत्त संगठन

   (घ) सरकारी उपक्रम

   (ङ) विश्वविद्यालय

11. क्या आप संशोधित वेतनमान प्राप्त कर रहे है ? यदि हां तो तारीख बताएं जिसमें संशोधन किया गया था और पूर्वसंशोधित वेतनमान भी बताएं ।

12. इस समय प्रतिमाह आहरित कुल परिलब्धियां

13. अतिरिक्त सूचना यदि कोई है जिसका आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहेंगे । यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग पत्रक संलग्न करें ।

14. क्या आप अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं ?

15. टिप्पणियां :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर................................

पता...

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत ब्यौरे सही हैं और अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनिक मामला लम्बित या अपेक्षित नहीं है और पिछले 10 वर्षों में अधिकारी पर कोई छोटा अथवा बड़ा दण्ड नहीं लगाया गया है

और उनकी सत्यनिष्ठा सन्देह से परे है ।

विभाग/संगठन अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

अति तत्काल

समयबद्ध

फा०सं० 20-15/2007-बाग iv

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांकः

सेवा में,

1. सचिव
(कृषि/बागवानी),
सभी राज्य सरकारें/संघ शासित सरकारें
2. सचिव (डेयर एवं डी जी, भा०क०अ०प०)
कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. कुलपति
राज्य कृषि विश्वविद्यालय/केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
4. अध्यक्ष-सह-प्रबंधन निदेशक/प्रबंधन निदेशक
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी संगठन

विषयः **काजू एवं कोक विकास निदेशालय, कोचीन में उप-निदेशक (विकास) के पद का भरा जाना।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि काजू एवं कोक विकास निदेशालय, कोचीन जो इस विभाग के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय है, में 3000-100-3500-125-4500/- (संशोधित वेतनमान 10,000-325-15,200/-रू०) के वेतनमान में उप निदेशक (विकास) (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह -क अरापपत्रित, अननुसचिवीय) के एक पद को अल्पावधिक करार सहित प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव है। पात्रता की शर्तें निम्नलिखित है :-

1. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय/राज्य सरकारों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा परिषदों/अर्ध सरकारी/स्वायत्तशासी अथवा सांविधिक संगठनों के अंतर्गत जो अधिकारीः

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों अथवा

(ii) 2200-4000 रूपए के वेतनमान (संशोधित वेतनमानः 8000-13500) में पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो अथवा समकक्ष अथवा

(iii) 2000-4000 रूपए के वेतनमान (6500-10,500 रूपए के संशोधित वेतनमान) में पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक एवं अनुभव रखते हों :-

अनिवार्यः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी/कृषि में मास्टर डिग्री
(ii) कृषि विकास/विस्तार/योजना/विपणन/अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष संदर्भ के साथ काजू और/ अथवा अन्य पौध रोपण फसलों के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव

वांछनीय

(i) किसी मान्यतप्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी/कृषि में डाक्टरेट डिग्री
(ii) बागवानी फसलों के संदर्भ में विकासात्मक स्कीमों के निरूपण में अनुभव

प्रतिनियुक्ति की अवधि उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (लघु आवधिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने अन्तिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति आधार पर चयनित अधिकारियों को अपना ग्रेड वेतन जमा प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता लेने अथवा समय-समय पर, यथा संशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.3.1998 के का.ज्ञा.सं. 2/8/97-स्था० (वेतन-।।) के प्रावधानों के अनुसार अपना वेतन निर्धारित करने का विकल्प है।

अनुरोध है कि ऐसे अधिकारियों के आवेदन (दो प्रतियों में) संलग्न प्रपत्र में पूर्ण अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट सहित (गोपनीय रिपोर्ट की प्रतिलिपियां भारत सरकार के ऐसे अधिकारी से सत्यापित होनी चाहिएं जो अवर सचिव के पद से कम न हों।) रोजगार समाचार पत्र में जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उपायुक्त बागवानी, बागवानी प्रभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कमरा सं. 440 कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 के पास भेज दिए जाएं जिन्हें उनका चयन होने की स्थिति में छोड़ा जा सके और पात्र अधिकारी की सत्यनिष्ठा भी प्रमाणित की जाए।

अवेदन पत्र भेजते समय यह भी जांच की जाए कि अधिकारी द्वारा दिए गए ब्यौरे सही हैं और उनके खिलाफ कोई सतर्कता मामला न तो लंबित है और न ही ऐसा किए जाने का विचार है तथा पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर छोटा/बड़ा कोई दण्ड नहीं लगाया गया है। अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदन पत्र अथवा बिना गोपनीय रिपोर्ट, सतर्कता निकासी, निष्ठा प्रमाणपत्र और यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई छोटा/बड़ा दण्ड लगाया गया हो तो उसके विवरण के बिना अथवा अन्यथा अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(राजीव जैन)
अनुभाग अधिकारी (बागवानी-IV)

आवश्यक सूचना और कार्यवाही के लिए प्रति प्रेषित-

१. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों में इस रिक्ति को व्यापक प्रसार दें।

२. कृषि और सहकारिता विभाग के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।

३. सचिव (कृषि एवं सह०)/अपर सचिव/बागवानी आयुक्त संयुक्त सचिव (प्रशासन)/निदेशक (बागवानी)/निदेशक (कार्मिक)/अवर सचिव (बागवानी)(प्रशा०)

४. एनआईसी, कृषि एवं सह० विभाग को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञापन को विभाग की वेबसाइट में रिक्ति परिपत्र के सामने डाला जाए।

५. सरलीकरण केन्द्र,, कृषि और सहकारिता विभाग

६. गार्ड फाइल/अतिरिक्त प्रतियां/विभाग का सूचना पट्ट।

७. रोजगार समाचार को रोजगार समाचार पत्र में व्यापक प्रचार देने के लिए (ध्यानाकर्ष- श्री पी०एम० जोस सहायक मीडिया एक्जीक्यूटिव, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना, १०वां तल, फेस-IV, सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-११०००३

<u>प्रपत्र</u>

1. नाम :
2. जन्म तिथि :
3. मूल विभाग/संगठन में
   सेवा निवृत्ति की तारीख :
4. शैक्षणिक योग्यताएं :
5. क्या इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताओं को पूरा करते है ।
   यदि नियमों में किसी योग्यता को किसी निर्धारित योग्यता के
   समतुल्य बताया गया है तो उसके प्राधिकरण का नाम बताएं।

		अपेक्षित अर्हताएं/ अनुभव	अधिकारी के पास अर्हता/अनुभव
अनिवार्य-	(1)		
	(2)		
	(3)		
वांछनीय-	(1)		
	(2)		
	(3)		

6. आपके द्वारा की गई उपर्युक्त प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए कृपया
   स्पष्ट उल्लेख करें कि क्या आप पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं ।

7. कालक्रमानुसार में रोजगार के विवरण । यदि नीचे का स्थान अपर्याप्त है तो
   अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अलग पत्रक संलग्न करें ।

कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	से	तक	वेतनमान और उनमें मूल वेतन	निष्पादित ड्यूटियों का स्वरूप

8. वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात तदर्थ अथवा
अस्थायी अथवा स्थायी ।

9. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार
पर है तो कृपया उल्लेख करें ।
   (क) प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख
   (ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि
   (ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबंध रखते हैं

10. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे ।
कृपया बताएं क्या आप निम्न के अंतर्गत कार्यरत है ;
   (क) केन्द्र सरकार
   (ख) राज्य सरकार
   (ग) स्वायत्त संगठन
   (घ) सरकारी उपक्रम
   (ङ) विश्वविद्यालय

11. क्या आप संशोधित वेतनमान प्राप्त कर रहे है ? यदि हां तो तारीख बताएं जिसमें संशोधन किया गया था और पूर्वसंशोधित वेतनमान भी बताएं ।

12. इस समय प्रतिमाह आहरित कुल परिलब्धियां

13. अतिरिक्त सूचना यदि कोई है जिसका आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहेंगे । यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग पत्रक संलग्न करें ।

14. क्या आप अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं ?

15. टिप्पणियां :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर.................................
पता..

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत ब्यौरे सही हैं और अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनिक मामला लम्बित या अपेक्षित नहीं है और पिछले 10 वर्षों में अधिकारी पर कोई छोटा अथवा बड़ा दण्ड नहीं लगाया गया है

और उनकी सत्यनिष्ठा सन्देह से परे है ।

विभाग/संगठन अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)